फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 93/2023 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

दिनेश बनाम राजस्थान राज्य वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
20/5/24	अधिवक्ता पत्रावली पेश हुई ।अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है । तहसीलदार कुम्भलगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई ।अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थी श्री दिनेश सोनी पिता मांगीलाल सोनी निवासी केलवाडा तहसील कुम्भालगढ जिला राजसमन्द के ग्राम केसर पटवार हल्का कुंचौली तहसील कुम्भलगढ मे स्थित उनकी खातेदारी भूमि आराजी नंबर 5789/5190 रकबा 0.2700 हैक्टेयर किस्म हकत–3 भूमि मे आने–जाने हेतु ग्राम केसर की बिलानाम भूमि व खातेदारी भूमि से रास्ता दिलाया जावे नियमानुसार सरकारी शुल्क जमा कराने को तैयार है। तहसीलदार कुम्भलगढ की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खातेदारी भूमि मे आने–जाने हेतु ग्राम केसर की आराजी नंबर 5782/5189 रकबा 1.4040 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0640 हैक्टेयर जो खमाण पुत्र रूपा जाति लौहार निवासी लुहारा खेत की भागल की खातेदारी भूमि से व ग्राम केसर की बिलानाम भूमि आराजी नंबर 5189 रकबा 0.3618 हैक्टेयर किस्म मगरी मे से रकबा 0.0040 हैक्टेयर भूमि का रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है । रास्ते हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि को दिये जाने की अनुशंषा की है । अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावति रास्ता खातेदारी व बिलानाम भूमि से है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर तहसीलदार कुम्भलगढ के प्रस्तावानुसार उक्त प्रस्तावित भूमि की खमाण पुत्र रूपा जाति लौहार निवासी लुहारा खेत की भागल की खातेदारी से उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 1112685/–रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की कीमत 71212/–की दुगुनी कीमत 142424/–रूपये संबंधित खातेदार को अदा करने पर व यदि संबंधित खातेदार द्वारा राशि नही ली जाती है तो संबंधित मद मे जमा कराने पर व बिलानाम भूमि की डी.एल.सी.दर 140440/–रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की कीमत 562/–रूपये की दुगुनी कीमत 1124/– रूपये संबंधित मद मे जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित भूमि किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है ।रास्ते की अधिकतम चौडाई 30 फीट है। जिसका उपयोग सार्वजनिक होगा । तदनुसार राजस्व अभिलेख मे अंकन एवं अमलदरामद किये जाने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। आदेश की प्रति के तहसीलदार कुम्भलगढ को पालना हेतु भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।	

उपखण्ड अधिकारी ★ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:35:52 IST
Reason: SelfAttested